भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2415

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

पीएम-प्रणाम योजना को सुदृढ़ बनाना

2415. श्री ई. तुकाराम:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बजट 2026 में स्पष्ट लक्ष्यों और प्रभावी निगरानी के साथ धरती माता के संरक्षण, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) योजना को सुदृढ़ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): पीएम-प्रणाम स्कीम वर्ष (2023-24 से 2025-26 तक) के तहत, पिछले तीन वर्षों में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की औसत खतप की तुलना में, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में इनकी खपत में कमी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जो बचाई गई उर्वरक सब्सिडी के 50% के समतुल्य है।

पीएम-प्रणाम स्कीम को, बिना किसी अलग बजट के, रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी से उत्पन्न होने वाली उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्त पोषित किया जाता है। पीएम-प्रणाम स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अनुदानों के उपयोग के साथ कार्य योजनाएं प्रस्तुत करनी होती हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने चाहिए। बाद के वर्षों के लिए अनुदान पिछले अनुदानों के उचित उपयोग पर आधारित होते हैं।

****